न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 10 / 2024 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री सूरज सिंह यादव एडवोकेट म0न0 13 प्रतापनगर प्रथम बोरखेडा कोटा कोटा राज0 मोबाइल न0 9352609150

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगजमण्डी जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 12.09.2024

1. अपीलार्थी श्री सूरज सिंह यादव एडवोकेट म0न0 13 प्रतापनगर प्रथम बोरखेडा कोटा राज0 मोबाइल न0 9352609150 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 10..06.2024 (पोस्टल आर्डर कमांक 63 एफ 847588) को लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकरी रामगजमण्डी, जिला कोटा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2. अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगजमण्डी जिला कोटा से टिप्पणी / जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर / एडीएम / 1413 दिनांक 13.08.2024 से पत्र लिखा गया ।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगजमण्डी जिला कोटा के पत्र क्रमांक /सूचना/ 2024 / 2481 दिनांक 02.09.2024 से अवगत कराया यह कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना प्रश्नात्मक होने के व अनुपलब्धता के संबध में प्रार्थी चाही। प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण प्रशासनिक सुधार विभाग के निम्न प्रपत्र के अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक / आरटीआई / 2024 / 1849 दिनांक 03.07.2024 से सूचित किया। .प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र कमांक 3(22) प्रसु / सू0अ0प्र0 / 06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

4 . अतः पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति अनुसार लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी रामगजमण्डी की टिप्पणी अनुसार आवेदक अपीलार्थी को सूचना के सम्बन्ध में पत्र कमांक /आर0टी0आई0 / 2024 / 1849 दिनांक 03.07.2024 से सूचित कर दिया गया है,चूकि प्रार्थी अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकरी रामगजमण्डी द्वारा सूचना के सम्बन्ध में सूचित कर दिये जाने से अपील का निस्तारण इसी स्तर कर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

(मुकेश कुमार चौधरी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कोटा, जिला कोटा